हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्याःपीसीएच–एचए (1)2/2019–55158-163 शिमला–171009 दिनांक 26.8.2020.

अधिसूचना

क्योंकि उपायुक्त, सोलन, के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर जिला सोलन, के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सोलन, के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार पुनर्गठित करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई–राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला सोलन, के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते है;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 7 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला सोलन, को प्रस्तुत कर सकेगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला सोलन, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन को घोषित करने के बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला सोलन, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

क्र0 सं0	ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित किए जाने वाले ग्रामों के नाम	ग्राम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम को सम्मिलित किया जाना है।	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम सभा में पुर्नगठन उपरान्त समस्त ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 3 में शेष बचे ग्रामों के नाम जो वर्तमान ग्राम सभा में ही रहेंगे	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
विकास खण्ड कुनिहार							
1	डुमैहर	1. बजेरी	1. बडमल	भूमति	1 बड़मल	1. बजेरी	
		2. धर्मपुर			2 रामपुर	2. धर्मपुर	

		3. बडमल			3 डाडल	3. डुमैहर (विक्रमपुर)	
		4. डुमैहर (विक्रमपुर)			4 जेखडी	4. लाधी	
		5. लाधी			5 पखरेड	5. नाणतो	
		6. नाणतो			6 भूमति	6. जघाना	
		7. जघाना			7 कोटलु		
					8 रिहावन		
					9 सलयाट		
					10 शांगली		
					11 सोथी		
					12 सोयली		
					13 धैणी		
					14 ईकवा ब्राहम्णा		
					15 ईकवा कनैता		
					16 जमरोटी		
					17 लोहारा		
					18 चुनाड़ ब्राम्हणा		
					19 चुनाड़ कनैता		
					20 नगरवाड़		
					21 बजीवन		
विकास खण्ड धर्मपुर							
2	**घड़सी**	1 च्यावनी भटटान	1 च्यावनी भटटान	**बढलग**	1 च्यावनी भटटान	1 मालू का बाण	
		2 च्यावनी बहलब्राला	2 च्यावनी बहलवाला		2 च्यावनी बहलवाला	2 च्यवनी कमठानू	
		3 मालू का बाण			3 समाणू	3 च्यावनी बुघराट	
		4 च्यावनी कमठानू			4 निहर	4 मटकण्डा	
		5 च्यावनी बुघराट			5 बेहली	5 जंगल घड़सी	
		6 मटकण्डा			6 जेपला	6 घड़सी ब्राहमणा	
		7 जंगल घड़सी			7 मनेशी	7 ऐरा	
		8 घड़सी ब्राहमणा			8 डोरा काटल	8 घड़सी कनैता	
		9 ऐरा			9 दुर्गापुर	9 धायला	
		10 घड़सी कनैता			10 आंजी		
		11 धायला			11 खेरी		

					12 बढलग		
					13 कायल मेहता		
					14 कायल मंझली		
					15 भवानी पुर		
					16 बटोडा		

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याःपीसीएच–एचए(1)2/2019– 55158-163 शिमला–171009 दिनांक 26.8 ,2020.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1. उपायुक्त सोलन, जिला **सोलन**, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह इस अधिसूचना के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त आप्पतियों/आक्षेपों, यदि कोई हों, का तुरन्त निपटारा करके अपनी अन्तिम सिफारिश/आपत्तियों तथा आक्षेपों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से 3 दिनों की अवधि के भीतर विशेष वाहक द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें।
2. जिला पंचायत अधिकारी सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।
3. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।
4. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना की प्रति का ग्राम सभा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत के सूचना पटट् पर चसपान सुनिश्चित करवाएगें तथा इस अधिसूचना का समस्त ग्राम सभा क्षेत्र में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।

संयुक्त सचिव(पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।